राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनिकी) व (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग
जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक एफ 10(छ) (24) न.आ./ठो.क.प्र./डी.एल.बी/16/ 20 दिनांक 25.04.2018

विज्ञप्ति

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी व अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01 दिनांक 30.12.2015 के अन्तर्गत क्रम संख्या-06 पर अंकित ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) के सीधी भर्ती से चयन करने हेतु 78 पद (72 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र एवं 6 पद टीएसपी क्षेत्र) विज्ञापित किये गये थे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता "**भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता**" रखी गई थी। विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-06 के अनुसार अधिशाषी अधिकारी (चतुर्थ), राजस्व अधिकारी (द्वितीय), राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता "**भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता** निर्धारित कर" उपरोक्त पांचों पदों के लिये एक ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें आवेदन अपने ऑन-लाईन आवेदन पत्र में सेवा वरियता क्रम का उल्लेख करेगा। जिन आवेदकों द्वारा पदों की वरियता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसकी प्राथमिकता विभाग द्वारा तय की जावेगी। उक्त पांचों पदों हेतु आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरने हेतु फीस का भुगतान करना होगा "संबंधी निर्देश/सूचना अंकित की गयी थी।

ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी श्री कैलाश चन्द मीणा ने आयोग द्वारा विज्ञप्ति में अंकित ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) पद की शैक्षणिक योग्यता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 16517/2016 दायर कर चुनौती दी। इसी के अनुरूप अन्य अभ्यर्थियों ने भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटीशन यथा संख्या 17928/2016, 9180/2016, 11286/2016, 14190/2016, 16771/2016, 13227/2017, 1252/2016, 1789/2016, 1677/2017, 8034/2017, 19399/2017, 742/2018, 7272/2018, 3207/2016 एवं 5827/2018 दायर की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2017, 20.12.2017, 31.10.2017, 10.01.2018, 22.02.2018, 20.03.2018 एवं 08.04.2018 को आदेश पारित कर आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को अपास्त कर दिया एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 में रही शैक्षणिक योग्यताओं को ही पद हेतु मान्य किया है।

राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के अनुसूची में ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) सम्मिलित नहीं है जबकि नियमों की अनुसूची के शीर्षक 'ख' **स्वास्थ्य के अन्तर्गत** इस पद का नाम सफाई निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय एवं शैक्षणिक योग्यता "**मैट्रिक या उसके समकक्ष (प्रशिक्षित)**" निर्धारित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दिनांकों को पारित आदेशों के विरूद्ध आयोग/विभाग द्वारा एसबी सिविल रिट पीटीशन 9180/2016, 17928/2016, 16517/2016, 11286/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 एवं 1789/2016 व 8035/2017 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध डीबी में स्पेशल अपील रिट संख्या-312/2018 (सुनिल कुमार) 313/2018 (सुनिल कुमार शर्मा) 314/2018 (महेश कुमार बाजिया) 315/2018 (कैलाशचन्द मीणा) 319/2018 (दीपा सैनी) एवं 363/2018 (राजकुमार मीणा) दायर की गई थी लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयोग/विभाग द्वारा दायर स्पेशल अपील याचिकाओं को खारिज करते हुए उपरोक्त सभी एसबी सिविल रिट पीटीशनस् में पारित आदेशों को यथावत् रखा है।

ठोस कचरा प्रबन्धक (सफाई निरीक्षक) पद के अभ्यर्थी श्री कैलाशचन्द मीणा पुत्र श्री गंगासहाय मीणा एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या-16517/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 की पालना नहीं किये जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अवमानना रिट संख्या 62/2018 दायर कर रखी है

जिसमें "माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 23.04.2018 को पारित आदेश की पालना आगामी पेशी दिनांक 26.04.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की जानी है।"

उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी एसबी सिविल रिट पीटीशनस् में पारित आदेश एवं आयोग/विभाग द्वारा दायर स्पेशल अपील याचिका को खारिज किये जाने के परिपेक्ष्य में सैनेट्री इंस्पेक्टर ग्रेड–द्वितीय की योग्यता राजस्थान, नगरपालिका, (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 के अनुसार संशोधित की जाकर सफाई निरीक्षक ग्रेड–द्वितीय पद की अनन्तिम (Provisional) वरियता चयन सूची वर्गवार (आरक्षित पदों के अनुसार) दिनांक 26.04.2018 को जारी की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम 1963 में उल्लेखित योग्यता यथा मैट्रिकुलेट या इसके समकक्ष अर्हता (प्रशिक्षित) सैनेट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पद हेतु पात्र माना गया है.

विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों यथा शैक्षणिक योग्यता, आयु ,वर्ग इत्यादि संबंधी जांच नहीं की गयी है। न्यायालय निर्णयों के क्रम में संशोधित योग्यताओं को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय अगर कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो अनन्तिम (Provisional) वरियता चयन सूची में संशोधन संभव है।

अतः अभ्यर्थियों के मूल दस्तावजों के सत्यापन में नियमानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पात्र पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा यथा समय जारी किये जायेंगे। मूल दस्तावजों के सत्यापन आयोजन की तिथि एवं समय का कार्यक्रम विभागीय वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in & www.cmar.india.org पर यथा समय उपलब्ध करवाया जायेगा।

(अलका मीणा)
सचिव, सेवा चयन आयोग